राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2014-15

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका / संगठनात्मक ढांचा	1–2
2.	स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	3
3.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	4–5
4.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉं	5
5.	सार – संक्षेप (Executive Summary)	6

1. भूमिका :– आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन ''दण्ड प्रकिया संहिता,1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को कमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रकिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप–10) विभाग में विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

गृह (ग्रुप–10) विभाग के मुख्य कार्य :–

1 धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु प्राप्त प्रकरणों की समुचित समीक्षा करना।

2 लघु प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा की समीक्षा करना है।

3 धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करना।

4. विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में पेश होने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से संबंधित कार्य।

5. गृह विभाग के अन्य प्रकोष्ठो से प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर विधिक राय प्रदान करना।

6. अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना ।

7. इस प्रकोष्ठ से सम्बन्धित सूचना के अधिकार अधिनियम सम्बन्धी कार्य ।

गृह (ग्रुप–10) विभाग में कार्यरत अधिकारीगण

1. विशिष्ठ शासन सचिव गृह विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी
2. उप विधि परामर्शी
3. 1. अनुभागाधिकारी
   2. अनुभागाधिकारी, (आर.टी.आई.)

वर्ष 2014 में निष्पादित कार्यो का प्रगति विवरण :–

1. राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन फौजदारी प्रकरणों, लघु प्रकृति के प्रकरणों को वापिस लेने व अभियोजन स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की गयी जिनका विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2014–15 में वापिस लिये गये प्रकरणों की संख्या
1.	राज्य सरकार द्वारा प्रकरणों को वापिस लिये जाने का निर्णय लिया।	89
2.	जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर वापिस लिये गये, लघु प्रकृति के प्रकरण	14,100
3.	राज्य सरकार के स्तर पर जारी की गई अभियोजन स्वीकृति अन्तर्गत धारा 196 दण्ड प्रकिया संहिता	18

2. अभियोजन विभाग मे स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण अन्य विभागों में सृजित/प्रतिनियुक्ति के पद
1	*निदेशक अभियोजन*	1	0	1	–
2	*उप निदेशक अभियोजन/ लोक अभियोजक*	14	6	8	3(2एसीबी +1लोक अभियोजक श्रीगंगानगर)
3	*सहायक निदेशक अभियोजन/ विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक*	84	80	4	29(16 अपर लोक अभियोजक +11विशिष्ठ लोक अभियोजक +1सी आईडी +1आर पी ए)
4	सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	240	193	47	07 (2जेडीए+1पीएच क्यू+1आरपीए +2पीटीएस + 1 ए टी एस
5	सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी	424	203	221	01– सी.आई.डी.सी.बी
6	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	2	2	0	–
7.	निजि सचिव	1	1	0	
8	वरिष्ठ निजि सहायक	3	3	0	–
9	कार्यालय अधीक्षक	6	5	1	–
10	निजि सहायक	1	1	0	–
11	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	1	1	0	–
12	कनिष्ठ लेखाकार	24	14	10	–
13	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0	–

14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	—
15	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0	—
16	शीघ्र लिपिक	05	3	2	—
17	सहायक कार्यालय अधीक्षक	62	37	25	—
18	लिपिक ग्रेड – I	279	203	76	—
19	लिपिक ग्रेड – II	454	253	201	—
20	ड्राईवर	1	0	1	—
21	जमादार	31	21	10	—
22	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	396	287	109	—
	योग	2032	1316	716	40

3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलनाः— अभियोजन विभाग के सदस्यों द्वारा की जाने वाली पैरवी व्यवस्था :— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा पैरवी की जाती है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुल 15, विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कुल—4 एवं विशिष्ट न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट के कुल—3, विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार के कुल —2 एवं विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी, विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है। सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के कुल —15 अधिकारी अपर लोक अभियोजक के रुप में एडीजे स्तर के न्यायालयों में पैरवी कर रहे हैं। लोक अभियोजक श्रीगंगानगर के पद पर उप निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी द्वारा पैरवी कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष नवम्बर 2014 तक की अवधि में समस्त सहायक लोक अभियोजकगण द्वारा विभिन्न अपराध वर्गों के 736775 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 209308(28.4 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 527467 (71.5 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (90.6 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 458155(62.1 प्रतिशत) थी, जिनमे से 73129(16.0 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ। निर्णित प्रकरण पर दोष सिद्धी 71.2 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह नवम्बर 2014 तक 3261 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 348 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 2913 प्रकरण लम्बित रहें। तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 54.29 प्रतिशत रहा है ।

वर्ष नवम्बर 2014 तक साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनावों से संबंधित कुल 16 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 3 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 13 प्रकरण विचाराधीन हैं।

वर्ष नवम्बर 2014 तक महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कुल 43647 प्रकरण विचाराधीन थे जिनमें से 9449 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, 34198 प्रकरण शेष रहे । दोष सिद्धी 39.0 प्रतिशत रही।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में दर्ज/निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014नवम्बर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	596110	579122	546914	510536
2.	दायर	289819	261256	263161	234955
3.	योग	885929	840378	810075	745491
4.	कमिट (–)	9314	8921	9249	8716
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	876615	831457	800826	736775
B.	दोषसिद्धि	228335	210621	213638	155591
C.	दोषमुक्ति	17350	21121	22350	15705
D.	अन्य ढंग से	51808	52801	54302	38012
5.	कुल निर्णित प्रकरण	297493	284543	290290	209308
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	579122	546914	510536	527467
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	92.9	91.1	90.5	90.6
8.	निर्णय का प्रतिशत	33.9	32	36.2	28.4

4. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ :–

(1) विभाग की वेबसाईट **(WWW Prosecution Rajasthan Gov.in)** बन कर दिनांक 5.6.14 को लॉच हो चुकी है।

(2) जयपुर बम ब्लास्ट प्रकरणों की त्वरित गति से विचारण किये जाने हेतु विशिष्ठ न्यायालय जयपुर बम काण्ड व जेल में मल्टीपोंइण्ट विडियों कांन्फेंस सिस्टम स्थापित किये गये जिससे वीडियो कान्फेंसिंग सिस्टम चालू किया गया।

(3) नियुक्ति 116 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी को नियुक्ति प्रदान की गई है। 4 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ लिपिक एवं 5 मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दी गयी ।

(4) भवनों के सम्बन्ध में जिला मुख्यालय जोधपुर, कोटा एवं टोंक, एवं उप खण्ड मुख्यालय पीपाड, ऑसियां व फलौदी में अभियोजन भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(5) प्रशिक्षण 13वें वित्त आयोग के बजट से राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के माध्यम से इस वर्ष 238 कार्यरत अभियोजन अधिकारियों का एवं 110 नव नियुक्त सहायक लोक अभियोजकगण को (15.12.14 से 3.01.15 तक) प्रशिक्षण दिलाया गया, 9—9 कानूनी पुस्तकों के सैट प्रशिक्षार्णियों को उपलब्ध कराये गये।

(6) 13वें वित्त आयोग के बजट से अभियोजन विभाग के सभी अभियोजकों को लैपटोप व पुस्तकें दिया जाना प्रस्तावित है।

अभियोजन विभाग में वर्ष 2014—15 में निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की गई है।

(1) सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के पद पर 4 पदों पर पदोन्नतियां दी गयी।

(2) सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी से सहायक निदेशक अभियोजन 22 पदों पर पदोन्नतियां दी गयी।

(3) वरिष्ठ निजी सहायक से निजी सचिव के 1 पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

(4) कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक के पद पर 5 पदोन्नतियां दी गई।

(5) वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर 31 पदों पर पदोन्नतियां दी गई।

इस प्रकार अभियोजन विभाग में वर्ष 2014—15 में लगभग 63 पदोन्नतियां प्रदान की गई है।

5. सार — संक्षेप (Executive Summary)

न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में मोनेटरिंग व्यवस्था के तहत विभागीय आदेशों के अलावा, जिला स्तर पर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की आवधिक बैठकों हेतु पत्र जारी किये गये निरीक्षण कर सजायाबी के प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त सहायक लोक अभियोजकगण के कार्य स्तर में सुधार हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त नक्शों में भा.दं.सं. के प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम सजायाबी होने पर सजायाबी में सुधार के लिये भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने के आदेश दिये गये। सजायाबी का प्रतिशत 80% तक बढाने के लिये प्रयास किये जा रहे है।

—0—